



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2687]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2015/अग्रहायण 24, 1937

No. 2687]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHAYANA 24, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3385(अ).— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, पुडुचेरी (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, पुडुचेरी कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

- | | |
|---|-------------|
| 1. डॉ. जी. श्रीनिवासन
आचार्य,
रासायनिक इंजीनियरी विभाग,
पांडिचेरी, इंजीनियरी महाविद्यालय,
पुडुचेरी - 605014 | —अध्यक्ष |
| 2. डॉ. टी. गणेशन
सह-आचार्य,
वनस्पति विज्ञान विभाग,
टैगोर कला, महाविद्यालय, पुडुचेरी | —सदस्य |
| 3. निदेशक, विज्ञान विभाग,
प्रौद्योगिकी और पर्यावरण,
पुडुचेरी सरकार | —सदस्य सचिव |

2. प्राधिकरण, पुडुचेरी के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, पुडुचेरी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट हैं।

4. प्राधिकरण, पुडुचेरी का विनिश्चय राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर आधारित होगा।

5. प्राधिकरण, पुडुचेरी की सहायता करने के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार पुडुचेरी सरकार से परामर्श करके, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पुडुचेरी का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. डॉ. बी. कुमारन
प्रचार्य,
इंदिरा गांधी कला और विज्ञान महाविद्यालय,
पुडुचेरी —अध्यक्ष
2. डॉ. गोविन्द्रादजाने,
आचार्य,
सिविल इंजीनियरी विभाग,
पांडिचेरी, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पुडुचेरी —सदस्य
3. डॉ. एस. रामकुमार,
पशुचिकित्सा और ए. एच. एक्सटेंशन,
रीवर, पुडुचेरी —सदस्य
4. डॉ. ए. योगामूर्ति
सह-आचार्य,
पारिस्थितिकीय और पर्यावरण विज्ञान विभाग,
पांडिचेरी, विश्वविद्यालय,
पुडुचेरी। —सदस्य
5. श्री आर. वी. वी. सत्यनारायणन,
रसायन विभाग,
डा. एस. आर. के. राजकीय कला महाविद्यालय, यनम —सदस्य
6. डॉ. के. एम. गोपीनाथन,
सह-आचार्य,
प्राणी विज्ञान विभाग,
महात्मा गांधी राजकीय कला महाविद्यालय,
पांडिचेरी विश्वविद्यालय, माहे —सदस्य
7. डॉ. के. सम्बंदन,
सह-आचार्य,
पादप विज्ञान विभाग, आवयार, राजकीय महिला
महाविद्यालय, कराइकल —
8. डॉ. पी. कविता वासुदेवन,
आचार्य और प्रधान (कम्युनिटी ओषधि)
कम्युनिटी ओषधि विभाग, इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय
और अनुसंधान संस्थान,
वजहूदाउर रोड, काथिरकमाम, पुडुचेरी —
9. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण
विभाग, पुडुचेरी सरकार —सचिव

6. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पुडुचेरी का अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पुडुचेरी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं।

8. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पुडुचेरी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति से पर पहुंचने का प्रयास करेगा, और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जाता है तो बहुमत का अभिमत अभिभावी होगा।

9. पुडुचेरी सरकार, प्राधिकरण, पुडुचेरी तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पुडुचेरी के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने हेतु एक अभिकरण अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय तथा संचारतंत्रीय सहायता, जिसके अंतर्गत आवास परिवहन भी है और अपने सभी कानूनी कृत्यों की बावत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी।

10. पुडुचेरी, प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पुडुचेरी को बैठक की फीस, यात्रा भत्ते, महंगाई भत्ते, पुडुचेरी सरकार के संबंधित नियमों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे।

[सं. जे-11013/51/2007-1ए. II(1)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2015

S.O. 3385(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Puducherry (hereinafter referred to as the Authority, Puducherry) comprising of the following members, namely:—

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| (a) | Dr. G. Srinivasan
Professor,
Department of Chemical Engineering, Pondicherry
Engineering College, Puducherry – 605 014 | —Chairman; |
| (b) | Dr. T. Ganesan
Associate Professor,
Department of Botany,
Tagore Arts College, Puducherry | —Member; |
| (c) | Director, Department of Science, Technology and
Environment, Government of Puducherry | —Member Secretary. |

2. The Chairman and members of the Authority, Puducherry shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Puducherry shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Puducherry shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Puducherry.

5. For the purposes of assisting the Authority, Puducherry, the Central Government, in consultation with the Government of Puducherry, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry comprising of the following members, namely :—

- | | | |
|------|--|------------|
| (i) | Dr. B. Kumaran
Principal,
Indira Gandhi College of Arts and Science,
Puducherry. | —Chairman; |
| (ii) | Dr. S. Govindaradjane
Professor,
Department of Civil Engineering,
Pondicherry Engineering College,
Puducherry. | —Member; |

- | | | |
|--------|--|-------------|
| (iii) | Dr. S. Ram Kumar
Department of Veterinary and AH Extension,
River, Puducherry. | —Member; |
| (iv) | Dr. A. Yogamoorthi
Associate Professor
Department of Ecology and Environmental Science,
Pondicherry University, Puducherry. | —Member; |
| (v) | Shri. R.V.V. Satyanarayana
Department of Chemistry,
Dr. S.R.K. Government Arts College, Yanam. | —Member; |
| (vi) | Dr. K.M. Gopinathan
Associate Professor
Department of Zoology,
Mahatma Gandhi Government Arts College,
University of Pondicherry, Mahe. | —Member; |
| (vii) | Dr. K. Sambandan
Assistant Professor,
Department of Plant Science, Avvaiyar Government
College for Women, Karaikal. | — |
| (viii) | Dr. P. Kavita Vasudevan
Professor and Head (Community Medicine),
Department of Community Medicine, Indira Gandhi
Medical College and Research Institute, Vazhudavur
Road, Kathirkamam, Puducherry. | — |
| (ix) | Senior Scientific Officer,
Department of Science, Technology and Environment,
Government of Puducherry. | —Secretary. |

6. The Chairman and Members of State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

8. The State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Puducherry shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority for Puducherry and the State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority for Puducherry and the Chairman and Members of the State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry shall be paid in accordance with the concerned rules of the Government of Puducherry.

[No. J-11013/ 51/ 2007- IA. II (I)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.